

कार्यालय अधिष्ठाता कृषि संकाय
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांक:सीएसयूडी/१९५/२०२५-२६

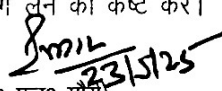
दिनांक: मई २३, २०२५

1. कुलसचिव।
2. निदेशक, कृषि प्रयोग केन्द्र।
3. समस्त, विभागाध्यक्ष (कृषि संकाय)।
4. डा० सर्वेश कुमार, प्राध्यापक, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध विभाग/Secretary, Board of Faculty.
5. डा० कौशल कुमार, प्राध्यापक, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध विभाग/Representative, Board of Faculty.

अवगत कराना है कि निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हेतु दिनांक २४.०५.२०२५ को अपराह्न ०३:३० बजे अधिष्ठाता कृषि संकाय समिति कक्ष में **बोर्ड ऑफ फैकल्टी** की एक बैठक आहूत की गई है।

प्रस्ताव	विवरण
प्रस्ताव संख्या-०१	: दिनांक ०९.०१.२०२५ को अधिष्ठाता कृषि संकाय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बोर्ड ऑफ फैकल्टी की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन। (संलग्नक-१)
प्रस्ताव संख्या-०२	: कुलसचिव कार्यालय पत्रांक:सीएसयू/आर-४१३/शिक्षा नीति/२०२५ दिनांक १५.०५.२०२५ के क्रम में दिनांक १९.०५.२०२५ को अधिष्ठाता समिति कक्ष में अपराह्न ०३:३० बजे अधिष्ठाता, कृषि संकाय की अध्यक्षता में आहूत शिक्षा नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार। (संलग्नक-२)
प्रस्ताव संख्या-०३	: विभागाध्यक्ष, सस्य देहिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "विश्वविद्यालय/विभाग के एम०-एस०सी० (कृषि) के छात्रों को अध्ययनरत अवधि में एक पेपर प्रकाशन हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाये।" के अनुमोदन पर विचार। (संलग्नक-३)
प्रस्ताव संख्या-०४	: डा० उमानाथ शुक्ला, प्राध्यापक, सस्य विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय में कार्यरत संकाय सदस्यों द्वारा समयानुकूल उत्कृष्ट शोध किये जाने हेतु प्रति वैज्ञानिक/शिक्षक धनराशि रु० १०००००.०० (रु० एक लाख) सीड मनी के रूप में आवंटित किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार। (संलग्नक-४)
प्रस्ताव संख्या-०५	: डा० सर्वेश कुमार, प्राध्यापक, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध विभाग/Secretary, Board of Faculty द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में पी०जी० एवं पी०-एच०डी० शोध छात्र/छात्राओं द्वारा अपने मेजर विषय के साथ-साथ बी०एस०एम०ए० गार्डिलाइन्स के अनुसार दूसरे विभागों से सम्बन्धित माईनर कोर्स का चयन अनिवार्य किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार। (संलग्नक-५)
प्रस्ताव संख्या-०६	: डा० सर्वेश कुमार, प्राध्यापक, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध विभाग/Secretary, Board of Faculty द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय में एम०-एससी०/पी०-एच०डी० शोध छात्र/छात्राओं की थीसिस मूल्यांकन की दरें जो वर्ष २०१९ से लागू हैं, उन्हें प्रस्तुत प्रस्तावानुसार संशोधित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव (संलग्नक-६)
प्रस्ताव संख्या-०७	: डा० सर्वेश कुमार, प्राध्यापक, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध विभाग/Secretary, Board of Faculty द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के स्टडी टूर हेतु उन्हें बाहर जाने पर प्रतिदिन रहने एवं खाने हेतु पूर्व निर्धारित दर रु० १५०/- मात्र से बढ़ाकर प्रतिदिन प्रतिछात्र रु० ३००.०० किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार। (संलग्नक-७)
प्रस्ताव संख्या-०८	: डा० सर्वेश कुमार, प्राध्यापक, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध विभाग/Secretary, Board of Faculty द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की उपस्थिति मानके के अनुसार पूर्ण न होने के फलस्वरूप उन्हें कक्षाओं में उपस्थित रहने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के क्रम में प्रत्येक विषय में प्रोत्साहन स्वरूप संलग्न प्रस्तावानुसार बोनस अंक दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार। (संलग्नक-८)
प्रस्ताव संख्या-०९	: डा० अरुण कुमार, सह-प्राध्यापक, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन हेतु शिक्षकों/वैज्ञानिकों को प्रस्तुत प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय द्वारा फण्ड उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार। (संलग्नक-९)

कृपया उक्त बैठक में आप स्वयं तथा अपने अधीनस्थ कृषि संकाय सदस्यों के साथ समय से भाग लेने का कष्ट करें।


(सी० एल० मौर्य)
अधिष्ठाता, कृषि संकाय

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी, ए०के०एम०यू० को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. कुलपति के तकनीकी सचिव को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाईल

(सी० एल० मौर्य)
अधिष्ठाता, कृषि संकाय